पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA FIVE RUPEES INDIA FIVE RUPEES INDIA FIVE RUPEES

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
जिला ग्वालियर

प्र. क्र. निगरानी / अध्यक्ष / 2016 नि0-936-PBR-16

नाथूराम उर्फ रामनाथ पुत्र श्री बुद्धिराम निवासी ग्राम सूरो परगना व जिला ग्वा0 .....प्रार्थी

बनाम

जगदीश प्रसाद मृतक

वारिसान

1. राजेश शर्मा
2. विश्वनाथ शर्मा पुत्रगण स्वश्री जगदीश प्रसाद
3. जसवंती बेवा जगदीश प्रसाद समस्त निवासीगण ग्राम सूरो तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0 ....प्रतिप्रार्थीगण
4. कल्याण प्रसाद पुत्र श्री बुद्धेराम निवासी ग्राम सूरो तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0
5. सेवाराम पुत्र श्री रामचरन निवासी सीताराम कॉलोनी गोल का मंदिर ग्वा0.......

फॉरमल प्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीयअनुविभगीय अधिकारी मुरार के प्रकरण कमांक 30 / 2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांकी 29.12.2015 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रतिप्रार्थी कमांक–1 के पिता स्व0श्री जगदीशप्रसाद पुत्र श्री बुद्धेराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधीक्षक भू–अभिलेख शाखा ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2010 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की । प्रार्थी को सूचना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की उक्त आदेश भू–प्रबंधक द्वारा पारित किया गया इसलिए भू–प्रबंधक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील बंदोबसत अधिकारी को होगी इसलिए प्रतिप्रार्थी कमांक–1 द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है उक्त अपील प्रचलन योग्य न होने से इसी स्तर पर निरस्त की जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रारंभिक आपत्ति पर उभय पक्षों को सुनते हुये यह मान्य

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 936-पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-19	आवेदक पक्ष अधिवक्ता श्री जगदीश श्रीवास्तव उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 22-4-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	